Type of Debate: MATTERS UNDER RULE 377
Title: Need to bring regulation and development of Coal Lignite, Methane minerals under the jurisdiction of State Governments -Laid.

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविदान की ७वीं अनुसूची-१ के क्रमांक ५४ में जनहित को लक्षय में रखते हुए भारत में खान और खनिज के नियमन और विश्राम और विकास के लिए कानून बनाया है, उस आधार पर खनिज और खान का विकास और नियंत्रण केन्द्र सरकार के द्वारा होता है। इसके अलावा अन्य खनिजों का विकास और नियंत्रण संविधान की ७वीं अनुसूची-२ क्रमांक २३ में राज्य सरकार द्वारा होगा, इसमें एक से २३ तक में खनिजों में कोल लिगनाईट बेड मिथेन, खनिज का समावेश नहीं हुआ है।

इस विषय में एडवोकेट जनरल जी ने अलग-अलग पहलू का अभ्यास करके सुझाव दिया था कि कोल लिगनाईट बेड मिथेन खनिज का संशोधन और विकास राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

इस संबंध में गुजराद के मुख्यमंत्री जी ने १३.५.९८ को एक बैठक बुलाई थी और बैठक में संवैधानिक विशेषज्ञ, श्री फली नरिमन, के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए कोल लिगनाईट बेड मिथेन का संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार देने की सर्वसम्मति हुई थी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में अति शीघ्र निर्णय करके कोल लिगनाईट बेड मिथेन खनिज का नियमन तथा विकास राज्य सरकार के अधीन हो।